

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 01/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 01 जनवरी, 2020

सा.का.नि....(अ) केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 जनवरी, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 92, धारा 97, धारा 100 और धारा 103 से 110 के सिवाय धारा 92 से 112 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा.सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार